



**मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग**  
 पंचम तल, मेट्रो प्लाज़ा, ई-5, अरेरा कॉलोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल – 462016  
 फोन : 0755-2430154, फेक्स 0755-2430158  
 ई-मेल-[secmperc@sancharnet.in](mailto:secmperc@sancharnet.in), वेबसाइट- [www.mperc.nic.in](http://www.mperc.nic.in)

क्रमांक : मप्रविनिआ / 2015 / 640

भोपाल दिनांक : 17 / 04 / 2015

**जन सूचना**  
 (याचिका क्र. 30/2014)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2015 के द्वारा निम्नदाब एवं उच्चदाब विद्युत दरों का निर्धारण किया गया है। विद्युत दरें दिनांक 25 अप्रैल 2015 से वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लागू होगी। पुनरीक्षित विद्युत दरों का सारांश निम्नानुसार है :-

**अ. निम्न दाब (लो टेंशन-एलटी) उपभोक्ताओं हेतु विद्युत-दर (टैरिफ) अनुसूचियां**

**1 टैरिफ अनुसूची एल.व्ही.-1 घरेलू**

क्रमांक	मासिक खपत	स्थायी प्रभार प्रति माह (रुपये में)		ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	न्यूनतम प्रभार (रुपये प्रति संयोजन प्रति माह)
		शहरी क्षेत्र में	ग्रामीण क्षेत्र में		
एल.व्ही.-1.1 उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 30 यूनिटों से ज्यादा न हो एवं स्वीकृत भार 100 वाट से ज्यादा न हो।					
1	30 यूनिटों तक	निरंक	निरंक	290	40
एल.व्ही-1. 2: खपत स्लैब (टेलिस्कोपिक स्थाई संयोजन के लिए)					
1.	50 यूनिटों तक	40 प्रति संयोजन	25 प्रति संयोजन	340	60
2.	51-100 यूनिटों तक	70 प्रति संयोजन	45 प्रति संयोजन	405	
3	101-300 यूनिटों तक	80 प्रति 0.5 कि.वा. अधिकृत भार का	60 प्रति 0.5 कि.वा. अधिकृत भार का	520	
3	300 यूनिटों से अधिक	85 प्रति 0.5 कि.वा. अधिकृत भार का	80 प्रति 0.5 कि.वा. अधिकृत भार का	570	
4	अस्थायी संयोजन स्वयं के गृह निर्माण के लिये (अधिकतम एक वर्ष तक)	330 प्रति कि.वा. स्वीकृत भार का या संयोजित भार का या अभिलिखित भार का जो भी ज्यादा हो	250 प्रति कि.वा. स्वीकृत भार का या संयोजित भार का या अभिलिखित भार का जो भी ज्यादा हो	730	1000
5	अस्थायी संयोजन सामाजिक/वैवाहिक/धार्मिक समारोहों हेतु	50 प्रति कि.वा. स्वीकृत भार का या संयोजित भार या अभिलिखित भार का जो भी ज्यादा हो प्रति 24 घंटे की अवधि के लिए या उसके अंश का	35 प्रति कि.वा. स्वीकृत भार का या संयोजित भार का या अभिलिखित भार का जो भी ज्यादा हो प्रति 24 घंटे की अवधि के लिए या उसके अंश का	730	1000
8	अमीटरीकृत संयोजन (शहरी क्षेत्रों में)	85 प्रति संयोजन	—	100 यूनिटों की खपत पर 470 पैसे प्रति यूनिट की दर से	निरंक
9	ग्रामीण क्षेत्रों के अमीटरीकृत संयोजनो के लिए	—	40 प्रति संयोजन	75 यूनिटों की खपत पर 375 पैसे प्रति यूनिट की दर से	निरंक
10	डी.टी.आर मीटर द्वारा झुग्गी/झोपड़ी के समूहों के लिए जब तक कि व्यक्तिगत कनेक्शनों पर मीटर न लगाये जाये.	निरंक	निरंक	300	निरंक

## 2. टैरिफ अनुसूची एल.व्ही.-2 गैर-घरेलू

क्रमांक	उपश्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार	मासिक स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	न्यूनतम खपत
		शहरी क्षेत्र में (रुपये में)	ग्रामीण क्षेत्र मे (रुपयें में)	(पैसे प्रति यूनिट)	
एल.व्ही.-2.1					
1	संयोजित भार आधारित दर (संयोजित भार 20 कि.वा. तक)	100 प्रति कि.वा.	70 प्रति कि.वा.	540	शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को वार्षिक न्यूनतम खपत 360 यूनिट प्रति किलोवाट या उसके अंश का संयोजित अथवा अनुबंधित भार या मांग आधारित दर के अनुसार बिलिंग मांग इसमें से जो भी अधिक है के अनुसार देना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को वार्षिक न्यूनतम खपत 180 यूनिट प्रति किलोवाट या उसके अंश का अथवा संयोजित अथवा अनुबंधित विद्युत भार या मांग आधारित दर के अनुसार बिलिंग मांग का इसमें जो भी अधिक हो उसके अनुसार देना होगा। क्ष-किरण इकाई का भार अलग माना जावेगा व उपभोक्ता के संयोजित भार में न्यूनतम खपत के लिए गणना में नहीं लिया जावेगा।
2	<b>वैकल्पिक</b> – मांग आधारित टैरिफ (केवल संविदा मांग 10 कि.वा. से 20 कि.वा. तक)	200 प्रति कि.वा. अथवा 160 प्रति के. व्ही.ए बिलिंग मांग	140 प्रति कि.वा. अथवा 112 प्रति के. व्ही.ए बिलिंग मांग	540	
3	<b>अपरिहार्य</b> – मांग आधारित टैरिफ संविदा मांग 20 कि.वा. से अधिक के लिए	200 प्रति कि.वा. अथवा 160 प्रति के. व्ही.ए बिलिंग मांग	140 प्रति कि.वा. अथवा 112 प्रति के. व्ही.ए बिलिंग मांग	540	
एल.व्ही.-2.2					
1	सभी यूनिटों पर यदि मासिक खपत 50 यूनिटों से ज्यादा न हो	55 प्रति कि.वा.	35 प्रति कि.वा.	575	
2	यदि मासिक खपत 50 यूनिटों से ज्यादा हो तो सभी यूनिटों पर	95 प्रति कि.वा.	70 प्रति कि.वा.	650	
3	<b>वैकल्पिक</b> – मांग आधारित टैरिफ (केवल संविदा मांग 10 कि.वा. से 20 कि.वा. तक)	210 प्रति कि.वा. अथवा 168 प्रति के. व्ही.ए बिलिंग मांग	140 प्रति कि.वा. अथवा 112 प्रति के. व्ही.ए बिलिंग मांग	555	
4	<b>अपरिहार्य</b> – मांग आधारित टैरिफ संविदा मांग 20 कि.वा. से अधिक के लिए	210 प्रति कि.वा. अथवा 168 प्रति के. व्ही.ए बिलिंग मांग	140 प्रति कि.वा. अथवा 112 प्रति के. व्ही.ए बिलिंग मांग	555	
5	अस्थाई संयोजन जिनमें बहुबिन्दु (मेला* के लिए) अस्थाई संयोजन सम्मिलित है।	150 प्रति कि.वा. अथवा उसके अंश का स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार जो भी ज्यादा हो	115 प्रति कि.वा. अथवा उसके अंश का स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार जो भी ज्यादा हो	775	अस्थाई संयोजन के प्रकरण में विवाह प्रयोजन हेतु न्यूनतम खपत 6 यूनिट प्रति किलोवाट का स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार जो भी ज्यादा हो प्रति 24 घंटे की अवधि के लिये या उसके अंश का देय होगा जो कि न्यूनतम 500 रु. देय होगा।
6	अस्थाई संयोजन वैवाहिक कार्यों के लिए शादी बागीचा या शादी हाल या अन्य कोई परिसर जो कि एल.व्ही 2.1 या 2.2 श्रेणी के अंतर्गत हो	65 प्रति कि.वा. या उसके अंश का स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार जो भी ज्यादा हो प्रति 24 घंटे की अवधि के लिए या उसके अंश का	45 प्रति कि.वा. या उसके अंश का स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार जो भी ज्यादा हो प्रति 24 घंटे की अवधि के लिए या उसके अंश का	775	
7	क्ष-किरण संयंत्र के लिए	अतिरिक्त स्थाई प्रभार (रुपये प्रति मशीन प्रति माह)			
	एकल फेज़	475			
	तीन फेज़	685			
	डेंटल क्ष-किरण	75			

\* टीप : यदि मेला आयोजन की अनुमति राज्य शासन के अधिकृत अधिकारियों से प्राप्त हो ।

### 3. टैरिफ अनुसूची- एल.व्ही - 3 सार्वजनिक जल कार्य एवं सड़क बतियां

क्रमांक	उपभोक्ता श्रेणी	मसिक स्थाई प्रभार (रू प्रति कि.वा.)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	न्यूनतम प्रभार
3.1	सार्वजनिक जल कार्य			
अ)	नगर निगम / छावनी मंडल	190	405	न्यूनतम प्रभार नहीं
ब)	नगर पालिका / नगर पंचायत	170	405	
स)	ग्राम पंचायत	75	405	
द)	अस्थाई	प्रयोज्य टैरिफ का 1.3 गुना		
3.2	सड़क बत्ती			
अ)	नगर निगम / छावनी मंडल	290	415	न्यूनतम प्रभार नहीं
ब)	नगर पालिक / नगर पंचायत	270	410	
स)	ग्राम पंचायत	65	410	

### 4. टैरिफ अनुसूची- एल.व्ही-4 उद्योग - गैर मौसमी एवं मौसमी उपभोक्ताओं के लिए

क्रमांक	उपभोक्ता श्रेणी	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र
		मासिक स्थाई प्रभार (रु प्रति माह)	मासिक स्थाई प्रभार (रु प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
अ- गैर मौसमी उपभोक्ता				
4.1 अ	मांग आधारित दर* (संविदा मांग 150 एच.पी. तक )	260 प्रति कि.वा. अथवा 208 प्रति के.व्ही.ए. बिलिंग मांग का	145 प्रति कि.वा. अथवा 116 प्रति के.व्ही.ए. बिलिंग मांग का	570
4.1 ब	अस्थाई संयोजन	प्रयोज्य दर का 1.3 गुना		
* 25 एच पी तक की संविदा मांग वाले के उपभोक्ताओं के लिए स्थाई प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार की बिलिंग उपरोक्त उपभोक्ता श्रेणी 4.1 अ में दशाये गए प्रभारों में 30% की दर से कम करने के पश्चात की जायेगी।				
ब- मौसमी उपभोक्ता (मौसम की अवधि लगातार 180 दिवस से अधिक नहीं होगी) यदि उद्घोषित मौसम/ गैर मौसम दो विद्युत दर अवधियों की सीमा में आता है, उस स्थिति में उपभोक्ता को संबंधित टैरिफ अवधि की विद्युत दरें लागू होंगी।				
4.1 अ	मौसम के दौरान	गैर मौसमी उपभोक्ताओं के लिए लागू सामान्य टैरिफ के अनुरूप	गैर मौसमी उपभोक्ताओं के लिए लागू सामान्य टैरिफ के अनुरूप	सामान्य टैरिफ गैर मौसमी उपभोक्ताओं के लिए
4.1 ब	गैर-मौसम के दौरान	गैर मौसमी उपभोक्ताओं के सामान्य टैरिफ के अनुरूप संविदा मांग का 10% अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग. इनमें जो भी ज्यादा है.	गैर मौसमी उपभोक्ताओं के सामान्य टैरिफ के अनुरूप संविदा मांग का 10% अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग. इनमें जो भी ज्यादा है.	गैर मौसमी उपभोक्ताओं के सामान्य टैरिफ का 120%

## न्यूनतम प्रभार

- i. **ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत 240 यूनिट प्रति एच.पी. अथवा उसके किसी अंश पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।
- ii. **शहरी क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत 420 यूनिट प्रति एच.पी. अथवा उसके किसी अंश पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।
- iii. उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 20 यूनिट प्रति एच.पी. प्रति माह की मासिक बिलिंग तथा शहरी क्षेत्रों में 35 यूनिट प्रति एच.पी. प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत न्यूनतम खपत से कम हो।

## 5. टैरिफ अनुसूची- एल.व्ही-5

### कृषि एवं संबंधित कार्यों के लिए

**एल.व्ही-5.1** — कृषि संबंधी पंप संयोजनों, भूसा काटने वाले उपकरणों, श्रेणियों, भूसा उड़ाने वाली मशीनों, बीजारोपण मशीनों, उद्वहन सिंचाई योजनाओं हेतु सिंचाई पंप मय पशुओं के उपयोग हेतु कृषि पंपों द्वारा निकाले गये जल हेतु संयोजनों पर प्रयोज्य होगा।

क्रमांक	उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
अ)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह	25	355
ब)	301 से 750 यूनिट प्रतिमाह	25	420
स)	माह में शेष यूनिटों के लिए	25	450
द)	अस्थायी संयोजन	25	462
इ)	डी.टी.आर मीटररीकृत समूह उपभोक्ता	निरंक	325

**एल.व्ही 5.2** — रोपणियां, फूल/पौधे/पौध (सैंपलिंग)/फल/कुकुरमुत्ता उगाने वाले प्रक्षेत्रों तथा चारागाह हेतु संयोजनों पर प्रयोज्य होगा।

क्रमांक	उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
अ)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह	25	355
ब)	301 से 750 यूनिट प्रतिमाह	25	420
स)	माह में शेष यूनिटों के लिए	25	450
द)	अस्थायी संयोजन	25	462

**न्यूनतम खपत बिलिंग** :- एलवी-5.1 तथा एलवी 5.2 के लिए न्यूनतम वार्षिक प्रभार 30 यूनिट प्रति एच.पी अथवा उसके अंश का प्रति माह जून से सितम्बर के बीच एवं 90 यूनिट प्रति एच.पी अथवा उसके अंश का अक्टूबर से मार्च के बीच के अनुसार देय होगा चाहे ऊर्जा खपत हुई हो अथवा नहीं।

**एल.व्ही 5.3** :- मत्स्य तालाबों, एक्वाकल्चर, रेशम उद्योग (सेरीकल्चर), अण्डा सेने के स्थानों (हैंचरी), कुक्कुट पालन केन्द्रों, पशु-प्रजनन केन्द्रों (कैटल ब्रीडिंग फार्मस), तथा केवल उन्हीं डेरी इकाईयों हेतु, जहां केवल दूध निकालने तथा इसका प्रसंस्करण करने, जैसे कि शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण, आदि का कार्य किया जाता है, हेतु संयोजनों पर प्रयोज्य होगा।

क्रमांक	उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रुपये में)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
अ)	शहरी क्षेत्र में 25 एच.पी तक	65 प्रति एच.पी	410
ब)	ग्रामीण क्षेत्र में 25 एच.पी तक	35 प्रति एच.पी	400
स)	मांग आधारित दर (संविदा मांग एवं संयोजित भार 100 एच.पी तक) शहरी क्षेत्र में	180 प्रति कि.वा. अथवा 144 प्रति के.व्ही.ए. बिलिंग मांग का	500
द)	मांग आधारित दर (संविदा मांग एवं संयोजित भार 100 एच.पी तक) ग्रामीण क्षेत्र में	85 प्रति कि.वा. अथवा 68 प्रति के.व्ही.ए. बिलिंग मांग का	500

**एल.व्ही 5.4 :-** कृषि संबंधी पंप, भूसा काटने वाले उपकरणों , थ्रेशरों, भूसा उड़ाने वाली मशीनों, बीजारोपण मशीनों, उद्बहन सिंचाई योजनाओं हेतु सिंचाई पंप मय पशुओं के उपयोग हेतु कृषि पंपों द्वारा निकाले गये जल हेतु स्थाई संयोजनों के लिए फ्लेट रेट टैरिफ प्रयोज्य होगा।

क्रमांक	कृषि उपयोग हेतु फ्लेट रेट टैरिफ*	मासिक प्रभार (रुपये में) प्रति अश्वशक्ति अप्रैल से सितंबर	मासिक प्रभार (रुपये में) प्रति अश्वशक्ति अक्टूबर से मार्च
अ)	तीन फेस – शहरी	100	100
ब)	तीन फेस – ग्रामीण	100	100
स)	सिंगल फेस – शहरी	100	100
द)	सिंगल फेस –ग्रामीण	100	100

\*एलव्ही 5 दर अनुसूची के निबंधन एवं शर्तों का पैरा क्रमांक 1.2 देखें

**ब . उच्च दाब (हाई टेंशन-एचटी) उपभोक्ताओं हेतु विद्युत-दर (टैरिफ) अनुसूचियां**

**1. टैरिफ अनुसूची- एच.व्ही-1 रेल्वे कर्षण (ट्रेक्शन)**

उपभोक्ता श्रेणी	स्थायी प्रभार (रु. प्रति के.व्ही.ए बिलिंग डिमांड प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	वार्षिक न्यूनतम खपत के.डब्ल्यू.एच (यूनिट) प्रति के.व्ही.ए संविदा मांग का
रेल्वे कर्षण (ट्रेक्शन) 132 / 220 के.व्ही	280	540	1500

**2. टैरिफ अनुसूची – एच.व्ही-2 कोयला खदानें**

उपभोक्ता उप श्रेणी	स्थायी प्रभार, (रुपये प्रति के.व्ही.ए. बिलिंग मांग प्रतिमाह)	खपत के लिए ऊर्जा प्रभार पैसे प्रति के.डब्ल्यू.एच (यूनिट)		वार्षिक न्यूनतम खपत के.डब्ल्यू.एच (यूनिट) प्रति के.व्ही.ए संविदा मांग का
		50% लोड फेक्टर तक की खपत के लिए	50% लोड फेक्टर से अधिक की खपत के लिए	
11 के.व्ही	560	580	520	1200
33 के.व्ही	570	570	500	
132 के.व्ही	580	555	490	
220 के.व्ही.	590	540	480	1620

### 3. टैरिफ अनुसूची- एच.व्ही-3 उद्योग, गैर उद्योग, शॉपिंग मॉल

उपभोक्ता उप श्रेणी	स्थाई प्रभार, (रूपये प्रति के.व्ही.ए. बिलिंग मांग प्रतिमाह)	खपत के लिए ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति के.डब्ल्यू.एच.(यूनिट))	
		50% लोड फेक्टर तक की खपत के लिए	50% लोड फेक्टर से अधिक की खपत के लिए
<b>3.1 उद्योग</b>			
11 के.व्ही विद्युत प्रदाय	280	575	520
33 के.व्ही विद्युत प्रदाय	435	565	470
132 के.व्ही विद्युत प्रदाय	525	525	455
220 / 400 के.व्ही विद्युत प्रदाय	560	505	435
<b>3.2 गैर- उद्योग</b>			
11 के.व्ही विद्युत प्रदाय	250	605	545
33 के.व्ही विद्युत प्रदाय	370	590	530
132 के.व्ही विद्युत प्रदाय	475	540	485
<b>3.3 शॉपिंग मॉल</b>			
11 के.व्ही विद्युत प्रदाय	230	615	540
33 के.व्ही विद्युत प्रदाय	340	595	525
132 के.व्ही विद्युत प्रदाय	450	540	485
<b>3.4 पॉवर इन्टेंसिव उद्योग</b>			
33 के.व्ही विद्युत प्रदाय	470	430	
132 के.व्ही विद्युत प्रदाय	570	410	
220 के.व्ही विद्युत प्रदाय	610	400	

उपरोक्त सभी एच.व्ही - 3 श्रेणियों के लिए वार्षिक न्यूनतम खपत की बिलिंग निम्नानुसार होगी -

विद्युत प्रदाय वोल्टेज	उपश्रेणी	वार्षिक न्यूनतम खपत यूनिटों में (के.डब्ल्यू.एच) प्रति के.व्ही.ए संविदा मांग का
220 / 132 के.व्ही. विद्युत प्रदाय के लिए	रोलिंग मिल	1200
	शैक्षणिक संस्थाएं	720
	अन्य	1800
33 / 11 के.व्ही.विद्युत प्रदाय के लिए	शैक्षणिक संस्थाएं	600
	100 के.वी.ए. संविदा मांग तक	600
	अन्य	1200

4. टैरिफ अनुसूची- एच.व्ही-4 – मौसमी मौसम की अवधि अधिकतम 180 दिवस लगातार एवं न्यूनतम 3 माह के लिए होगी। यदि घोषित मौसम दो विद्युत दर अवधियों में विस्तारित होता है, उस स्थिति में उपभोक्ता को संबंधित अवधि की विद्युत दरें लागू होंगी।

उपभोक्ता उप श्रेणी	स्थायी प्रभार, (रूपये प्रति के.व्ही.ए. बिलिंग मांग प्रतिमाह)	खपत के लिए ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति के.डब्ल्यू.एच.(यूनिट))		वार्षिक न्यूनतम खपत (यूनिटों में) के.डब्ल्यू.एच प्रति के.व्ही.ए संविदा मांग का
		50% लोड फेक्टर तक की खपत के लिए	50% लोड फेक्टर से अधिक की खपत के लिए	
मौसम के दौरान				
11 के.व्ही विद्युत प्रदाय	290	550	495	900
33 के.व्ही विद्युत प्रदाय	320	540	480	
गैर मौसम के दौरान				
11 के.व्ही विद्युत प्रदाय	संविदा मांग के 10 प्रतिशत पर अथवा मौसम के दौरान वास्तविक अभिलिखित मांग पर जो अधिक हो, रु. 290	654 अर्थात मौसमी ऊर्जा प्रभार का 120%	लागू नहीं है	
33 के.व्ही विद्युत प्रदाय	संविदा मांग के 10 प्रतिशत पर अथवा मौसम के दौरान वास्तविक अभिलिखित मांग पर जो अधिक हो, रु. 320	642 अर्थात मौसमी ऊर्जा प्रभार का 120 %	लागू नहीं है	

5. टैरिफ अनुसूची- एच.व्ही-5 सिंचाई, सार्वजनिक जल कार्य एवं कृषि उपयोग के अलावा –

उपश्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार, (रूपये प्रति के.व्ही.ए. बिलिंग मांग प्रतिमाह)	ऊर्जा प्रभार खपत (पैसे प्रति के.डब्ल्यू.एच.प्रति (यूनिट))	वार्षिक न्यूनतम खपत (यूनिटों में) के.डब्ल्यू.एच प्रति के.व्ही.ए संविदा मांग का
5.1 सार्वजनिक जल कार्य, सामूहिक सिंचाई तथा उद्वहन सिंचाई योजना			
11 के.व्ही विद्युत प्रदाय	195	445	720
33 के.व्ही विद्युत प्रदाय	215	420	
132 के.व्ही विद्युत प्रदाय	240	400	
5.2 कृषि उपयोग के अलावा			
11 के.व्ही विद्युत प्रदाय	210	455	720
33 के.व्ही विद्युत प्रदाय	230	435	
132 के.व्ही विद्युत प्रदाय	250	420	

## 6. टैरिफ अनुसूची- एच.व्ही-6 थोक आवासीय उपयोगकर्ता

उपभोक्ता की श्रेणी	स्थायी प्रभार, (रूपये प्रति के.व्ही.ए. बिलिंग मांग प्रतिमाह)	खपत के लिए ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति के.डब्ल्यू.एच.(यूनिट))		वार्षिक न्यूनतम खपत (यूनिटों में) के.डब्ल्यू.एच प्रति के. व्ही.ए संविदा मांग का
		50% लोड फेक्टर तक की खपत के लिए	50% लोड फेक्टर से अधिक की खपत के लिए	
6.1 टैरिफ उपश्रेणी के लिए –				
11 के.व्ही विद्युत प्रदाय	230	505	455	780
33 के.व्ही विद्युत प्रदाय	250	480	430	
132 के.व्ही विद्युत प्रदाय	265	460	415	
6.2 टैरिफ उपश्रेणी के लिए –				
11 के.व्ही विद्युत प्रदाय	155	505	460	780
33 के.व्ही विद्युत प्रदाय	160	495	450	
132 के.व्ही विद्युत प्रदाय	165	480	430	

## 7. टैरिफ अनुसूची-एच.व्ही-7 ग्रिड से संयोजित विद्युत उत्पादकों के लिए समकालन (Synchronization) तथा विद्युत उत्पादन प्रणाली को प्रारंभ करने (start up power)

श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
ग्रिड से संयोजित विद्युत उत्पादकों के लिए समकालन अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ करने हेतु	625

टीप :-

- आयोग द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 2015 को जारी खुदरा विद्युत प्रदाय दर आदेश 2015-16 में समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं (उच्च एवं निम्न दाब) के लिए लागू टैरिफ की निर्धारित दर अनुसूची, संबंधित निबंधन एवं शर्तों सहित, आयोग की वेबसाइट **www.mperc.nic.in** में उपलब्ध है।
- यह जन सूचना हिन्दी में अनुवादित है इस जनसूचना या इसके किसी भाग की व्याख्या/प्रयोज्यता एवं अनुवाद इत्यादि से उपजे विवाद की स्थिति में खुदरा विद्युत प्रदाय दर आदेश 2015-16 में दिये गये विवरण ही मान्य होंगे।

आयोग सचिव  
म.प्र. विद्युत नियामक आयोग